भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 ईसीआई/पीएन/15/2015 दिनांक : 10.02.2015

<u>प्रेस नोट</u>

विषय : जम्मू-कश्मीर विधान परिषद का द्विवार्षिक-निर्वाचन एवं उप-निर्वाचन।

राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान परिषद के 8 (आठ) सदस्यों की सीटें उनकी पदावधि के समाप्त होने पर, उन सदस्यों की सेवानिवृति के कारण, निम्नलिखित विवरण के अनुसार रिक्त होने वाली हैं:-

क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	जम्मू प्रोविंस	श्री एम.के. अजातशत्रु सिंह	09.03.2015
2.	जम्मू प्रोविंस	श्री बी.आर. कुण्डल	09.03.2015
3.	जम्मू प्रोविंस	श्री सैयद असगर अली	09.03.2015
4.	कश्मीर प्रोविंस की लद्दाख तहसील	श्री नरबू ग्यालचन	09.03.2015
5.	कश्मीर प्रोविंस की कारगिल तहसील	श्री आगा सैयद अहमद रिज़वी	09.03.2015
6.	कश्मीर प्रोविंस	श्री विजय बकया	16.03.2015
7.	कश्मीर प्रोविंस	श्री सैयद मोहम्मद रफीक शाह	16.03.2015
8.	जम्मू प्रोविंस	श्री खालिद नजीब सुहरवर्दी	16.03.2015

2. उपरोक्त आठ नियमित रिक्तियां निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार द्विवार्षिक निर्वाचनों द्वारा भरी जाएंगी:-

<u>निर्वाचनों के लिए अनुसूची</u>

1.	**अधिसूचना जारी करने की तारीख**	**12.02.2015 (गुरुवार)**
2.	**नामांकन भरने की अंतिम तारीख**	**18.02.2015 (बुधवार)**
3.	**नामांकनों की संवीक्षा की तारीख**	**19.02.2015 (गुरुवार)**
4.	**अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख**	**21.02.2015 (शनिवार)**
5.	**मतदान की तारीख**	**02.03.2015 (सोमवार)**
6.	**मतगणना की तारीख**	**02.03.2015 (अप. 5:00 बजे)**
7.	**वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा**	**07.03.2015 (शनिवार)**

3. इसके अतिरिक्त, 3 अन्य आकस्मिक रिक्तियां नीचे दर्शाए गए कारणों से भरी जानी अपेक्षित हैं:-

क्रम सं.	**सदस्य का नाम**	**प्रोविंस**	**रिक्ति की तारीख**	**वह तारीख जब तक कार्यकाल की शेष अवधि जारी रहेगी**	**रिक्ति का कारण एवं रिक्ति की तारीख**
1.	श्री मोहम्मद अशरफ मीर	कश्मीर प्रोविंस	23.12.2014	19.04.2017	उनके विधान सभा के लिए निर्वाचित होने के परिणामस्वरूप यह सीट 23.12.2014 से रिक्त है।
2.	श्री अब्दुल मजीद भट्ट	कश्मीर प्रोविंस	23.12.2014	16.03.2019	-वही-
3.	श्री देवेन्द्र सिंह राणा	जम्मू प्रोविंस	23.12.2014	16.03.2019	-वही-

4. इन तीन आकस्मिक रिक्तयों को भरने के लिए उपरोक्त पैरा 2 में दिए गए उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार **उप-निर्वाचन** भी आयोजित किया जाएगा।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग